घट-बढ़ के समायोजन संबंधी मामले बकाया पड़े हुए हैं।

(ग) मार्च, 1988 से इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है ताकि बकाया पड़े मामलों को शीघ्र निपटाया जा सके।

(घ) बकाया पड़े मामलों में अदायगियां समय पर करने का सरकार हर संभव प्रयास करेगी।

Free Medical Aid to SC/ST in Rajasthan

*169. SHRI SANTOSH BAGRODIA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government have implemented any comprehensive scheme of free medical aid to SC/ST and backward classes in Rajasthan;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the number of SC/ST and backward classes covered by such schemes in Rajasthan particularly in Bhilwara district till the end of June, 1988?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (KUMARI SAROJ KHAPARDE): (a) to (c) Free medical aid is available at PHCs and sub-centres set up in States to all including SC/STs and backward classes. Furthermore, in areas of concentration of STs and hilly areas Government have relaxed the infrastructure norms and fixed at 20,000 and 3,000 population instead of 30,000 and 5,000 respectively.

वेतरणी नदी पर बांध का निर्माण

*170. श्री राम जेठ मलानी :
श्री राम नरेश यादव :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा के जनजातीय क्षेत्रों में 9570 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु राज्य की वैतरणी नदी पर एक बांध के निर्माण की परियोजना पिछले एक दशक से लंबित पड़ी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं ;

(ग) सरकार द्वारा इस परियोजना को अब तक अनुमोदित न किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार इस परियोजना के निर्माण-कार्य को तेज करने के लिए कदम उठाने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में भावी योजनाएं क्या हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ङ) वेतरणी नदी पर कोई परियोजना, जिससे उड़ीसा के जनजातीय क्षेत्रों मे लगभग 9570 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी, केन्द्र में लंबित नहीं है।

Memorandum of understanding signed with Switzerland for exchange of Economic Information

*171. SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE:
SHRI KAILASH PATI MISHRA:

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) when was the Memorandum of Understanding between India and Switzerland signed for exchange of economic information;

(b) the steps taken so far to approach the Swiss and the Swedish Courts under the International Assistance in Criminal Matters Act, asking for information regarding the beneficiaries of the Swiss Bank accounts into which money was transferred by the Bofors; and

(c) what is the response from the Swiss Banks?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI K. C. PANT): (a) to (c) The text of the letter to be exchanged between the Governments of India and Switzerland, for mutual assistance in criminal matters, have been finalised The Swiss Federal Authorities are initiating the process of obtaining Federal Council approvals.

Assistance in specific cases can be secured on the fulfilment of the criteria of dual criminality. Formal proceedings would, therefore, depend on the result of investigations.

Ban on the use of Chloramphenicol and Streptomycin combination

*172. DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY:
DR. (SHRIMATI) SAROJINI MAHISHI:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have decided to ban the use of Chloramphenicol plus Streptomycin combination; and

(b) if so, by when the notification is likely to be issued?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (KUMARI SAROJ KHAPARDE): (a) Yes, Sir.

(b) The Ministry issued a Notification banning these combinations vide G.S R. No. 1057(E) dated 3-11-1988 for Publication in the Gazette of India (Extra-ordinary) which has been made available to the public on 18-11-1988.

महाराष्ट्र में 20 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाएं

*173. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल :** क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन की लागत 20 करोड़ रुपए से अधिक है और जो गत तीन वर्षों से महाराष्ट्र में लागू की जा रही है;

(ख) इनमें से प्रत्येक परियोजना को पूरा किए जाने के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) से (ग) त्रैमासिक प्रबोधन प्रणाली के अन्तर्गत आने वाली केंद्रीय परियोजनाओं के संबंध में उपलब्ध सूचना के अनुसार, प्रत्येक 20 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली 18 परियोजनाएं पिछले तीन वर्षों से महाराष्ट्र में कार्यान्वयनाधीन है। इन परियोजनाओं को दिनांक 31-10-85 को अथवा इससे पहले अनुमोदन किया गया था। विभिन्न क्षेत्रों के अधीन इन परियोजनाओं का वितरण नीचे दिये अनुसार है :-

कोयला	7
पैट्रोरसायन	1
पेट्रोलियम	2
रेलवे	5
भूतल-परिवहन	3

18 परियोजनाओं की सूची में ये परियोजनाएं शामिल नहीं हैं जैसे बम्बई सुदूर तटीय पैट्रोलियम, रेलवे तथा अन्य परियोजनाएं जो अनेक राज्यों से संबंधित है।

18 परियोजनाओं के संबंध में ब्योरा, उनके अनुमोदन की तारीख, चालू करने की तारीख-मूल एवम प्रत्याशित, अनुमोदित लागत तथा पूरा होने पर प्रत्याशित, तथा महीनों में विलम्ब की बतायी गई स्थिति तथा प्रतिशत मात्रा में लागत वृद्धि उस विवरण पत्र के अनुबंध में दी गयी है [देखिये परिशिष्ट 148, अनुपत्र सं. 66]